न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 153/2022

ीर कुमार दूत पुत्र पृथ्वीसिंह, ग्राम कोलसिया, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं (राज0) पिन कोड 333042

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 25.05.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 05.05.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 153/2022 पर दिनांक 05.05.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/1896—97 दिनांक 05.05.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ ने पत्रांक आरटीआई/2022/546 दिनांक 24.05.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील नं0 153/2022 के संबंध मे अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना दिनांक 20.05.2022 को निःशुल्क रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ पत्रांक आरटीआई/2022/546 दिनांक 24.05.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील नं0 153/2022 के संबंध मे अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना दिनांक 20.05.2022 को निःशुल्क रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दि[illegible]2022 [illegible]लय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.13 12:04:03 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] कुडी)
जिला [illegible], झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं